प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.09.2026

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त (हिस्ट्रीशीटर) गिरफ्तार

आज दिनांक 03.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर दुधेश्वर नाथ मंदिर मार्केट गोल्डन स्टील की दुकान से सामने से स्थायी वारण्टी अभियुक्त आकिल पुत्र शाबिर उर्फ बल्ले निवासी द्वारिकापुरी थाना कोतावली नगर गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है, जो पिछले 15 वर्षो से फरार चल रहा था। पुराने पते का मकान काफी समय पहले बेच दिया है खानाबदोष है । जो मु0अ0सं0 483/2003 धारा 380/411 भादवि के स्थायी वारण्ट में गिरफ्तार किया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त-

आकिल पुत्र शाबिर उर्फ बल्ले निवासी द्वारिकापुरी थाना कोतावली नगर गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आकिल

1. मु0अ0सं0- 483/2003 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 185/2003 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 2008/2003 धारा 411/109 भादवि एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 307/2004 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 188/2007 धारा 110जी सीआरपीसी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
6. मु0अ0सं0 537/2006 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
7. मु0अ0सं0 1110/2008 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
8. मु0अ0सं0 1111/2007 धारा 60 आब0अधि0 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
9. मु0अ0सं0 258/2008 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
10. मु0अ0सं0 78/2008 धारा 2/3 गुण्डा अधि0 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
11. मु0अ0सं0 682/2009 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
12. मु0अ0सं0 957/2010 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
13. मु0अ0सं0 1042/2010 धारा 457/380/411 भादावि थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
14. मु0अ0सं0 1280/2010 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दोपहिया वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 07 मोटरसाइकिल, 02 स्कूटी (कुल 09 दोपहिया वाहन) व लूट के मोबाइल को बेचकर प्राप्त 5120 रु0/- बरामद ।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दिनांक 02/03.09.2026 की रात्रि को चेकिंग/गश्त के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर दोपहिया वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1. हनी पुत्र सुरजीत निवासी बाल्मीकि चौक के पास मकनपुर थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद उम्र

करीब 19 वर्ष, 2. निखिल कुमार उर्फ नोनू पुत्र मुकेश कुमार निवासी 17/233 लाल बहादुर अस्पताल के पास थाना कल्याणपुरी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष को ग्रीन बेल्ट स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी की 07 मोटरसाइकिल, 02 स्कूटी (कुल 09 दोपहिया वाहन) व लूट के मोबाइल को बेचकर प्राप्त 5120 रु0/- बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त हनी पुत्र सुरजीत व निखिल कुमार उर्फ नोनू के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि हम दोनों अपने शौक पूरे करने के लिए दिल्ली व गाजियाबाद क्षेत्र में दोपहिया वाहन चोरी की घटना कारित करते हैं एवं उनकी नम्बर प्लेट बदलकर राह चलते लोगों से स्नैचिंग आदि की घटना कारित करते हैं। हम दोनों मिलकर चोरी किए गए दोपहिया वाहनों एवं स्नैचिंग किए हुए मोबाइल फोन को सस्ते दामों में राह चलते लोगों को बेच देते हैं और जो रुपये मिलते हैं, उन्हें आपस में बाँटकर अपने शौक पूरे करते हैं। दोनों अभियुक्तों ने बताया कि हमसे बरामद दोपहिया वाहन चोरी के ही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पते–

1. हनी पुत्र सुरजीत निवासी बाल्मीकि चौक के पास मकनपुर थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद, हाल पता- कोंडली थाना कल्याणपुरी दिल्ली, उम्र करीब 19 वर्ष।
2. निखिल कुमार उर्फ नोनू पुत्र मुकेश कुमार निवासी 17/233 लाल बहादुर अस्पताल के पास थाना कल्याणपुरी दिल्ली, उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 07 मोटरसाइकिल
- 02 स्कूटी बरामद
- 5120/- रुपये

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त हनी पुत्र सुरजीत व निखिल कुमार उर्फ नोनू के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 7.4 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 03.09.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त 1.आजाद पुत्र सुन्दर सेन 2.रोहित उर्फ विराज पुत्र सतवीर सैनी को डीएमई अण्डरपास के नजदीक थाना मसूरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से कुल 7.4 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मसूरी पर धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों दिल्ली से चोरी-छिपे गांजा लेकर आते है तथा गांजा की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर राह चलते लोगों को अधिक दामों पर बेच देते है तथा जो रूपये मिलते है, उससे अपने शौक पूरे करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. आजाद पुत्र सुन्दर सेन निवासी ग्राम बडका आरिफपुर थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष।
2. रोहित उर्फ विराज पुत्र सतवीर सैनी निवासी ग्राम बडका आरिफपुर थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से कुल 7.4 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना मसूरी पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 70 पव्वे अवैध शराब बरामद।

आज दिनांक 03.09.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ अभियुक्ता दुर्गावती पत्नी नैनसिंह निवासी राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 45 वर्ष को बन्द फाटक थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 70 पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुये। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर आबकारी अधिनियम की धारा-60/63 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्ता ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं हरियाणा से चोरी-छिपे देशी शराब खरीद कर लाती हूँ और अधिक मुनाफा कमाने के लिये राह चलते लोगों को अधिक पैसों में बेच देती हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता–

दुर्गावती पत्नी नैनसिंह निवासी राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 45 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

कब्जे से 70 पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्ता के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा पूर्व में अभियुक्ता के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर अवैध शराब के 06 अभियोग व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में 01 अभियोग **(कुल-08)** पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 16.07.2026 को थाना लिंकरोड पर वादी श्री विजय कुमार निवासी नगला शहजन थाना पारिपाली जिला कासगंज की प्राप्त तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मोटर साइकिल चोरी कर लेने के सबंध में अन्तर्गत धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 03.09.2026 को उक्त घटना को कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त सूर्या पुत्र अजय निवासी इन्द्रा कॉलोनी साहिबाबाद थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम कोहन्ड थाना घरौंदा जनपद करनाल हरियाणा उम्र करीब 23 वर्ष को चोरी की मोटर साइकिल सहित ओद्योगिक पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिये मैने मोटरसाईकिल चोरी करने की योजना बनायी थी। अब से करीब 50 दिन पहले साहिबाबाद फल एवं सब्जी मण्डी में मोटरसाइकिल चोरी करने के इरादे से घूम रहा था। यह मोटरसाइकिल साहिबाबाद फल एवं सब्जी मण्डी में शौचालय के पीछे खडी थी, जिसें मैने चोरी कर लिया था। मोटरसाइकिल की दोनों नम्बर प्लेट खोलकर एक नाले में फेंक दी थी और इस मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में ओधोगिक क्षेत्र से आस पास घूम रहा। जहाँ मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. सूर्या पुत्र अजय निवासी इन्द्रा कॉलोनी साहिबाबाद थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम कोहन्ड थाना घरौंदा जनपद करनाल हरियाणा उम्र करीब 23 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द थाना लिंक रोड पर चोरी का 01 अभियोग व थाना मुरादनगर पर अनैतिक देह व्यापार का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

थाना लिंक रोड पुलिस टीम।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छीनैती का 01 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 03.07.2026 को थाना लिंक रोड पर वादिया की प्राप्त तहरीर के आधार पर अज्ञात 02 व्यक्ति द्वारा वादिया की बैग/पर्स जिसमें मोबाइल फोन **OPPO A**15, सोने की अगूठी 30,250/- रु0 व कुछ कागजात आदि छीनकर ले जाने सबंध में अन्तर्गत धारा 304(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना पर दिनांक 02.09.2026 को उक्त घटना को कारित करने वाले 01 शातिर अभियुक्त अमित गुप्ता पुत्र अशोक कुमार गुप्ता निवासी लाजपत नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को छीने गये मोबाइल फोन, ओप्पो सहित टाटा मोटर्स के पास डाबर तिराहा मोहननगर जाने वाली सडक के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। वांछित अभियुक्त दानिश की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि यह मोबाइल मैने अपने साथी दानिश पुत्र सलीम निवासी चित्रकूट कॉलौनी अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद के साथ मिलकर उसकी मोटरसाइकिल पर सवार होकर करीब दो महीने पहले कन्ट्री इन होटल के पास से मोहननगर जाने वाली सडक पर मोटरसाइकिल पर जाते हुए व्यक्ति व पीछे बैठी महिला से रात्रि मे उसका पर्स छीन लिया था जिसमें यह मोबाइल तथा करीब 30 हजार रुपये तथा 01 अंगूठी, अन्य कागजात, कुछ दवाइयां व चाबियां थीं जिसमे से मेरे हिस्से मे यह मोबाइल तथा 15000/- रुपये आये थे बाकी सभी सामान मेरे साथी दानिश के पास है। मेरे हिस्से मे आये रुपये खर्च हो गये। यह मोबाइल फोन अभी तक मैं बेच नही पाया था। आज इसी मोबाइल फोन को बेचने की फिराक में टाटा मोटर्स के पास डाबर तिराहा मोहननगर जाने वाली सडक पर घूम रहा था।,तभी आपने मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अमित गुप्ता पुत्र अशोक कुमार गुप्ता निवासी लाजपत नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

दानिश पुत्र सलीम निवासी चित्रकूट कॉलौनी अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त अमित गुप्ता के विरुध्द थाना लिंक रोड पर छिनैती का 01 अभियोग व थाना साहिबाबाद पर लूट व लूट का प्रयास करने के संबंध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

कब्जे से 01 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः
थाना लिंक रोड पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मंदिर का ताला तोड़ कर मंदिर से सामान चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बरामद।

दिनांक 02.09.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी श्री सूरज शुक्ला द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 02.09.2026 को प्रातः शनि मंदिर तिगरी गोल चक्कर के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मंदिर का ताला तोड़ कर मंदिर से पीतल की मूर्ति, व अन्य सामान चोरी कर लिया है। इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अन्तर्गत धारा 305डी/331(4) बीएनएस मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमो को गठन किया गया। पुलिस टीमो द्वारा तत्काल घटना स्थल के आस पास सीसीटीवी कैमरो की फुटेज चैक की गयी तथा मैनुअल इन्पुट्स आदि के आधार पर घटना का **06 घंटे के अन्दर सफल अनावरण** किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 02.09.2026 को ही थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त दानिश पुत्र बबलू निवासी गांव काशी थाना परतापुर जिला मेरठ हाल पता सेक्टर 123 राधाकुंज कालोनी नोएडा थाना सेक्टर 112 गौतमबुद्धनगर उम्र 24 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर सीवेज ट्रीटमैन्ट प्लांट के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त चोरी से सम्बन्धित (1) लड्डू गोपाल जी की 01 बडी मूर्ती पीतल की (2) राधा रानी की 01 बडी मूर्ती पीतल की (3) 02 छोटी लड्डू गोपाल जी मूर्ती (4) 01 बडी गदा पीतल की (5) 02 चरण पादूका तांबे की (6) 03 पीतल के लोटे (7) 5 दीपक पीतल के (8) 01 घंटी पूजा करने वाली आदि शत प्रतिशत सामान बरामद हुआ, जिसकी कुल कीमत करीब 2.5 लाख रुपये है। अभियुक्त से माल बरामदगी के सम्बन्ध मे अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मैं सेक्टर 123 राधाकुंज कॉलोनी नोएडा मे रहता हूं तथा दिनांक 02.09.2026 को प्रातः अंधेरे के समय चोरी करने की फिराक मे घूम रहा था तथा तिगरी गोल चक्कर के पास शनि मंदिर का ताला तोडकर मैंने मंदिर मे रखी पीतल की मूर्ती व

अन्य पीतल का सामान चोरी कर लिया था, जिसको मैं बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड लिया। मुझसे जो सामान बरामद हुआ है यह उसी मंदिर से चोरी किया गया सामान है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

दानिश पुत्र बबलू निवासी गांव काशी थाना परतापुर जिला मेरठ हाल पता सेक्टर 123 राधाकुंज कालोनी नोएडा थाना सेक्टर 112 गौतमबुद्धनगर उम्र 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

(1) लड्डू गोपाल जी की 01 बडी मूर्ती पीतल की (2) राधा रानी की 01 बडी मूर्ती पीतल की (3) 02 छोटी लड्डू गोपाल जी मूर्ती (4) 01 बडी गदा पीतल की (5) 02 चरण पादूका तांबे की (6) 03 पीतल के लोटे (7) 5 दीपक पीतल के (8) 01 घंटी पूजा करने वाली आदि सामान।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना सेक्टर 113 नोएडा गौतमुद्धनगर पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग व NDPS Act के सम्बन्धित 01 अभियोग तथा थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर पर पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियोग कुल 04 अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल 1,98,000/- रुपये की धनराशि वापस करायी गई।

आज दिनांक 03.09.2026 को साइबर सेल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदिका के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल 1,98,000 रूपये की धनराशि आवेदिका को वापस करायी गयी।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना मसूरी गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदिका के साथ कुल 1,98,000/- रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर साइबर सेल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदिका की धनराशि को होल्ड कराया गया तथा संबंधित से पत्राचार कर अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 03.09.2026 को आवेदिका के

साथ हुई साइबर फ्रॉड की कुल धनराशि 1,98,000/- रूपये को आवेदिका को वापस कराया गया। आवेदिका द्वारा थाना मसूरी पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली टीम-

साइबर सेल थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा साइबर फ्रॉड में लिप्त 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 04 चैक बुक, 9 सिम कार्ड, 01 सेल्फ इन्क मोहर एवं 04 मोबाइल फोन बरामद, थाना साइबर क्राइम पर पंजीकृत 2 अभियोगों का अनावरण।

श्री अशोक कुमार महेश्वरी निवासी कौशांबी, गाजियाबाद के साथ IGL गैस कनेक्शन का बिल अपडेट कराने के नाम पर APK फाइल डाउनलोड कराकर 18.69 लाख रूपये की एवं श्री संजय कुमार निवासी राज नगर एक्सटेंशन गाजियाबाद के साथ IGL गैस कनेक्शन का बिल अपडेट कराने के नाम पर APK फाइल डाउनलोड कराकर 8 लाख रूपये की साइबर ठगी की गई। उपरोक्त घटनाओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी।
थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा विवेचना के क्रम में उपरोक्त अभियोग की घटना कारित करने वाले अभियुक्त आशीष कुमार साह पुत्र सुनील कुमार निवासी नागेन्द्र नाथ रोड़ पोस्ट व थाना दमदम 24 परगना डायमंड प्लाजा नाथूनपल्ली जिला कोलकाता वेस्ट बंगाल पिन 700028 को थाना क्षेत्र बागुआटी जनपद कलकत्ता पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया तथा ट्रांजिट रिमाण्ड पर लेकर दिनांक 03.09.2026 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त 04 चैक बुक, 9 सिम कार्ड, 01 सेल्फ इन्क मोहर एवं 04 मोबाइल फोन बरामद किये गये हैं।

पूछताछ का विवरण -

यह गैंग IGL गैस कनेक्शन का बिल अपडेट कराने के नाम पर APK फाइल डाउनलोड कराकर लोगों के मोबाइल फोन हैक कर उनके बैंकिंग क्रेडेन्शियल/ओटीपी प्राप्त कर उनके बैंक खातों से पैसे तनिष्क ज्वैलरी के बैंक खाते में पेमेन्ट कर तथा विभिन्न मर्चेन्ट प्लेटफार्म पर पेमेन्ट कर साइबर अपराध को अन्जाम देते हैं। थाना साइबर क्राइम की उपरोक्त साइबर फ्रॉड की घटनाओं में पीड़ित के मोबाइल फोन हैक कर उसके बैंक खातों से प्राप्त धनराशि से तनिष्क ज्वैलरी की खरीददारी के साक्ष्य मिले थे। विवेचना के क्रम में ज्ञात हुआ कि कलकत्ता के तनिष्क शोरूम से साइबर फ्रॉड के पैसे से ज्वैलरी खरीदी गई है। ज्वैलरी खरीदने वाले की शिनाख्त कर उसकी गिरफ्तारी की गई।
अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि वह शमशीर हुसैन एवं दादा नाम के व्यक्ति के कहने पर तनिष्क के शोरूमों से ज्वैलरी कलैक्ट करने का काम करता था। हर बार तनिष्क शो रूम से ज्वैलरी कलैक्ट करने के बदले में उसे 20-25 हजार रुपये मिलते थे। दादा नामक व्यक्ति उससे मोबाइल पर सम्पर्क कर तनिष्क के शोरूम से ज्वैलरी कलैक्ट करने के लिये बताता था वह तनिष्क के शोरूम में जाता था जहाँ पर पहले से ही दादा नामक व्यक्ति क्रेडिट नोट के माध्यम से पेमेन्ट कर चुका होता था। क्रेडिट नोट उसके नाम से बना होता था। इस बात के बारे में तनिष्क के शोरूम वालों मैनेजर व वहां के स्टाफ

को पहले से ही जानकारी रहती थी और मैंने लाखों की ज्वैलरी व 24 कैरेट गोल्ड क्वॉइन/बिस्किट लेकर दादा को दिये थे ।

तनिष्क शोरूम से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में अभियुक्त ज्वैलरी प्राप्त करते हुए एवं ले जाते हुए साफ दिखाई दे रहा है। अभियुक्त द्वारा तनिष्क शोरूम से थाना साइबर क्राइम गाजियाबाद के मुकदमों के अतिरिक्त और भी स्वर्ण ज्वैलरी ले जाने के साक्ष्य मिले हैं, बैंक खातों की स्टेटमेन्ट के आधार पर अन्य घटनाओं का पता लगाया जा रहा है।

इस गैंग के दादा नामक व्यक्ति तथा शमशीर हुसैन की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण-

1. आशीष कुमार साह पुत्र सुनील कुमार निवासी नागेन्द्र नाथ रोड़ पोस्ट व थाना दमदम 24 परगना डायमंड प्लाजा नाथूनपल्ली जिला कोलकाता वेस्ट बंगाल पिन 700028 मूल निवासी न्यू कॉलोनी बेतिया जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार उम्र 23 वर्ष शिक्षा 10 वीं।

गिरफ्तारी स्थान - थाना क्षेत्र बागुआटी जनपद कलकत्ता पश्चिम बंगाल।

बरामदगी का विवरण - 04 अदद चैक बुक, 9 अदद सिम कार्ड, 01 सेल्फ इन्क मोहर एवं 04 अदद मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम- थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये आभूषण बरामद।

दिनांक 25.08.2026 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर का ताला तोडकर सोने, चांदी के आभूषण व रूपये चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा- 331(4)/305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त आरिफ उर्फ काला पुत्र हसरत निवासी ग्राम देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड, उम्र करीब 27 वर्ष को थाना भोजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी के, 01 गले का सेट पीली धातु, 01 मंगलसूत्र पीली धातु, 01 टीका पीली धातु, 01 पेंडल पीली धातु, 01 नथ पीली धातु, 02 अंगूठी पीली धातु, 02 गले के ॐ (ओम) पीली धातु तथा 01 जोड़ी कानों के कुण्डल पीली धातु तथा सफेद धातु के जेवरातों में 05 जोड़ी पायल सफेद धातु, 01 गले का हार सफेद धातु बरामद हुये। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे पास से जो पीली व सफेद धातु के आभूषण बरामद हुये हैं,ये मैंने व मेरे दो साथी फुरकान तथा समीर के द्वारा रात में ग्राम सुक्कन गढी से चोरी कर लिये थे

जिसमें से 01 गले का सेट पीली धातु व एक जोडी पायल सफेद धातु के ग्राम अमराला से पूर्व में चोरी किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

आरिफ उर्फ काला पुत्र हसरत निवासी ग्राम देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड, उम्र करीब 32 वर्ष।

वांछित अभियुक्तों का नाम व पता-

1.फुरकान पुत्र इकबाल निवासी ग्राम देहरा, थाना धौलाना जनपद हापुड़, उम्र करीब 32 बर्ष।

2.समीर पुत्र पप्पू निवासी ग्राम देहरा, थाना धौलाना जनपद हापुड़, उम्र करीब 20 बर्ष।

बरामदगी का विवरण -

अभियुक्त के कब्जे से चोरी के, 01 गले का सेट पीली धातु, 01 मंगलसूत्र पीली धातु, 01 टीका पीली धातु, 01 पेंडल पीली धातु, 01 नथ पीली धातु, 02 अंगूठी पीली धातु, 02 गले के ॐ (ओम) पीली धातु तथा 01 जोड़ी कानों के कुण्डल पीली धातु तथा सफेद धातु के जेवरातों में 05 जोड़ी पायल सफेद धातु, 01 गले का हार सफेद धातु बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है, पूर्व में भी 01 चोरी का अभियोग पंजीकृत है तथा 02 अभियोग चोरी के थाना कविनगर पर, 03 अभियोग चोरी के थाना धौलाना, 03 अभियोग चोरी के पिलखुआ जनपद हापुड पर व 04 अभियोग लूट /चोरी के थाना सरधना व 01 अभियोग लूट का थाना सरूरपुर जनपद मेरठ पर **(कुल 15 अभियोग)** पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना भोजपुर पुलिस टीम।